

दिनांक:—14.08.2019

प्रार्थना-पत्र पेश होने पर पत्रावली पेशी में ली गयी। वकील प्रार्थीया उपस्थित वकील प्रार्थीया ने प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 एवं सपठित धारा 141 सी.पी.सी. पेश किया। प्रकरण तलबी स्तर पर है। प्रार्थीगण स्वयं उपस्थित आये। प्रकरण में राजीनामा हो चुका है। अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना-पत्र चलाना नहीं चाहते हैं तथा वापिस लेना चाहते हैं। अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 एवं सपठित धारा 141 सी.पी.सी. स्वीकृत किया जाता है। व दिनांक 17.05.2019 को जारी एक पक्षीय आदेश खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

